भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 559

(दिनांक 12.04.2017 को उत्तर देने के लिए)

प्रसार भारती में निविदा प्रक्रिया

***559. श्री संजय धोत्रे :**

डॉ. सत्यपाल सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान प्रसार भारती की निविदा प्रक्रिया में गुटबंदी के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्तावधि के दौरान दूरदर्शन में भी गुटबंदी के ऐसे ही मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रसार भारती और दूरदर्शन में निविदा प्रक्रिया को साफ-सुथरा रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री एम. वेंकैया नायडू)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12.04.2017 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 559 के उत्तर (क) से (ङ) के उत्तर में दिया जाने वाला विवरण

(क) से (ङ): प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सहित प्रसार भारती की निविदा प्रक्रिया में गुटबंदी का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

दूरदर्शन सहित प्रसार भारती सामान्य वित्तीय नियमावली (डीएफआर) व केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन द्वारा निविदा-प्रक्रिया में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली अपना रहा है।

******